जाना संभव नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य विकल्पों को उपयोग कर सम्बन्धित को पक्षकारान बनाकर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 76 गैमु बाला प्रतिबन्धित भूमि में से रास्ते की मांग किये जाने से रास्ते का प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा अपनी आराजी खसरा नंबर 10 एवं 11 में आने-जाने हेतु खसरा नंबर 09 गैमु मगरी व खसरा नंबर 76 गैर मुमकिन बाला में से रास्ते की मांग की गई है। खसरा नंबर 76 गैमु बाला प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिसमें से रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हम प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज करना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाँक 30/01/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)